न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 27/2025 (GCMS: 2025/193)

श्री पियूष सिंगल पुत्र श्री सतीश सिंगल निवासी 46 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94628–94501)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पियुष सिंगल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पियूष सिंगल ने कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 08.01.2025 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पियूष सिंगल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:19 IST
Reason: SelfAttested

1. Information required about process of name change in electricity bill (JDVVNL)
2. Information regarding documents for name change in electricity bill (JDVVNL)
3. Copy of form to be attached for name change in electricity bill (JVVNL)
4. Copy of Sample file for name change in electricity bill (JDVVNL)
5. Can a Married Female Employee of Rajasthan Government add name of Father in Law or/and Mother in Law in her RGHS.

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. If a Married Female Employee of Rajasthan Government wants to add name of Father in Law or/and Mother in Law in her RGHS, what is the process
7. Ia fa Married Female Employee of Rajasthan Government wants to add name of Father in Law or/and Mother in Law in her RGHS. What are conditions or such criteria?

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 16–17 दिनांक 10.01.2025 से अधिशाषी अभियंता, जोधपुर वितरण निगम लि., श्रीगंगानगर एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पीएमओ), श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया और अधिशाषी अभियंता (शहर), जोधपुर डिस्कॉम, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 269 दिनांक 06.06.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्री पियूस सिंगल द्वारा ''सूचना का अधिकार'' अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन संदर्भ क्रमांक 1 दिनांक 08.01.2025 को आपके कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो आपके कार्यालय के द्वारा संदर्भ क्रमांक 2 दिनांक 10.01.2025 के तहत अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता कार्यालय में प्रेषित की गई। जिसकी पावती दिनांक 21.01.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता कार्यालय में प्राप्त हुई।
>
> श्रीमान्जी इस क्रम में लेख है कि आवेदक को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1354 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा आपके पत्र संख्या आर. टी.आई. / 06 / 2024 / 16–17 दिनांक 10.01.2025 प्रतिलिपि क्रमांक सम / 18 पर वर्णित पत्र व्यवहार पता श्री पियूस पुत्र श्री सतीश सिंगल निवासी 40 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94628–94501 पर वांछित

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर

सूचनाओं की प्रतिलिपि 115 पृष्ठ, प्रतिपेज 2 रूप्ये (सूचना का अधिकार 2005 के नियमानुसार) कुल शुल्क 230 रूपये कार्यालय में जमा करवाने हेतु रजिस्टर्ड वाहक डाक के माध्यम से सूचना पत्र व्यवहार पते पर प्रेषित की गई थी। (संदर्भ संख्या 4 की प्रतिलिपि संलग्न साथ ही भारतीय डाक के रजिस्टर्ड डाक की पावती संलग्न)

अतः आवदेक के द्वारा आज दिनांक तक उक्त शुल्क जमा नहीं करवाया गया है जो सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत प्रतिलिपि शुल्क के अभाव में आवेदक को वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई। श्रीमानजी वस्तुस्थिति रिपोर्ट (संदर्भ संख्या 5 में वांछित) आगामी कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में सादर प्रेषित है।

लोक सूचना अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 5721 दिनांक 31.05.2025 के द्वारा अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना का अधिकार के तहत श्री पियूष सिंगल का आवेदन पत्र आपके कार्यालय द्वारा इस कार्यालय एवं अधिशासी अधिकारी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., श्रीगंगानगर को भिजवाया गया था जो इस कार्यालय में दिनांक 21.01.2025 को प्राप्त हुआ था।

आवेदन पत्र में चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं थी, सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित [illegible] की वजह से इस कार्यालय के पत्रांक स्थापना 2024-25/2023-964 [illegible] 24.01.2025 द्वारा कोष कार्यालय श्रीगंगानगर को मय आवेदन पत्र एवं आपके पत्र के साथ सूचना प्रदान करने हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया था जिसकी प्रति आपके कार्यालय एवं आवेदनकर्त्ता को दी थी, पत्र की प्रति मय आपके कार्यालय में पत्र प्राप्ति हस्ताक्षर सहित पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

तत्पश्चात कोषाधिकारी कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा अपने कार्यालय पत्राक कोष/गंगा/आरटीआई/2024–25/388 दिनांक 31.01.2025 द्वारा यह लिखते हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवा दिया कि चाही गई सूचना कोष कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। सूचना परियोजना निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य योजना, जयपुर से सम्बन्धित है। पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस पत्र के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./2025/1383–1386 दिनांक 03.02.202 द्वारा समस्त पत्रावली श्रीमान परियोजना निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य योजना जयपुर को यह लिखते हुए अग्रेषित कर दी थी कि आवेदनकर्त्ता को सूचना सीधे ही भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करने हेतु लिखा था। पत्र की प्रति आपके कार्यालय एवं आवेदनकर्त्ता को भी दी गई थी, जो इस पत्र के साथ मय आपके कार्यालय को उपलब्ध करवाई गई डाक प्राप्ति की रसीद संलगन है।

अतः आपसे निवेदन है कि चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने की वजह से नियमानुसार अग्रप्रेषित की गई थी। अतः अपील से सम्बन्धित पत्र व्यवहार श्रीमान परियोजना निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य योजना, जयपुर से करने का श्रम करें।

अधिशाषी अभियन्ता (शहर), जोधपुर डिस्कॉम, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है, जिसके ... अपीलार्थी को उनके द्वारा अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ... हेतु राजकोष में शुल्क जमा करवाने हेतु सूचित किया गया है, किन्तु अपीलार्थी के द्वारा आज दिनांक तक शुल्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर